विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
15(क)-क्या पर्यावरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र में स्थित शक्तिनगर अनपरा तथा चोपन के मध्य पर्यावरणीय प्रदूषण का मानक क्या है तथा इन क्षेत्रों में खनन एवं अन्य संक्रियाओं के मानक से अधिक हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्याप्त उपाय किये गये हैं?	जी हॉ । जनपद सोनभद्र में स्थित शक्ति नगर, अनपरा तथा चोपन एवं अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.11.2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदूषण के मानक लागू होते हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार परिवेशीय वायु गुणता में पार्टिकुलेट मैटर 10 की सांद्रता 100 माइक्रोग्राम/घन मी0, सल्फर डाई आक्साइड की सांद्रता-80 माइक्रोग्राम/घन मी0 तथा नाइट्रोजन डाई आक्साइड की सांद्रता-80 माइक्रोग्राम/घन मी0 निर्धारित है। इन क्षेत्रों में 06 तापीय परियोजनायें, 05 कोल खनन परियोजनायें एवं 313 स्टोन क्रशर इकाईयां स्थापित हैं। इन सभी में वांछित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित हैं। सभी तापीय परियोजनाओं, खनन परियोजनाओं व 293 स्टोन क्रशर इकाईयों को जल/वायु वायु अधिनियम के अंतर्गत सहमति जल/वायु निर्गत है। अवशेष 20 स्टोन क्रशर उद्योग अन्य कारणों से अस्थाई रूप से बन्द हैं। उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों का नियमित अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है एवं उल्लंघन की स्थिति में समय-समय पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 ए तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-164/2018 अश्विनी कुमार दुबे बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक त्रैमासिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं स्थानीय जिला प्रशासन के साथ उपरोक्त उद्योगों का संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। अद्यतन निरीक्षण के समय पाई गई कमियों के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र के 47 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हॉ। उपरोक्तानुसार
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अरूण कुमार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0।